न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
103 / 2022 प्रा.पत्र / 2022	22.11.2022	04.07.2025

डॉ.मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री रामदयाल अग्रवाल एफ.बी.ओ. मैसर्स अग्रवाल किराणा स्टोर रूपवास वनस्थली मोड निवाई जिला टोंक(राज0)निवासी रूपवास वनस्थली मोड निवाई जिला टोंक। पिनकोड–304021

2–श्री विवेक जैन पुत्र श्री नरेश कुमार जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स विवेक डिपार्टमेन्टल स्टोर पुरानी सब्जी मण्डी निवाई जिला टोंक(राज0)निवासी पुराने बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने निवाई जिला टोंक। पिनकोड–304021

......अप्रार्थीगण।

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii).(V) एफ.एस.एस. एक्ट 2006, नियम 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अभिभाषक अप्रार्थी श्री तेजमल जैन उप.।

:–<u>निर्णय</u>–: दिनांक 04/7/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.08.2022 को समय दोपहर 01:21 पी.एम. पर मैसर्स अग्रवाल किराणा स्टोर रूपवास वनस्थली मोड निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री रामदयाल अग्रवाल अपने प्रतिष्ठान मैसर्स अग्रवाल किराणा स्टोर रूपवास वनस्थली मोड निवाई जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए मिला। श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री रामदयाल अग्रवाल को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री रामदयाल अग्रवाल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में गुड, तेल, घी, कन्फैक्शनरी बिस्किट, मसाले नमकीन आदि व अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **घी डेयरी मिल्क एगमार्क स्पेशल ग्रेड ब्राण्ड (Ghee Dairy Milk Agmark Special Grade Brand)** दुकान की रैक में 904–904 ग्राम के 2 नग मूल पैक आम जनता के विक्रय हेतु रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री रामदयाल अग्रवाल को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री रामदयाल अग्रवाल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताकर कि दुकान में कागज के कार्टून मे दुकान की रैंक में 904–904 ग्राम के 2 नग मूल पैक में से **घी डेयरी मिल्क एगमार्क स्पेशल ग्रेड ब्राण्ड (Ghee Dairy Milk Agmark Special Grade Brand)** 1नग मूल प्रत्येक 904–904 ग्राम जिसके बैंच नं0 जे–1 एवं पैकिंग की दिनांक जुलाई 2022 थी पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी डेयरी मिल्क एगमार्क स्पेशल ग्रेड ब्राण्ड (Ghee Dairy Milk Agmark Special Grade Brand)** 904 ग्राम के एक नग मूल पैक को प्लास्टिक की 4 साफ व सूखी शिशीयों में बराबर–बराबर 226–226 ग्राम प्रत्येक शिशी में भरकर, ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर, नियमानुसार चार भाग तैयार कर, लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3235 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3235 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुंर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता रमेश चन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री रामदयाल अग्रवाल एफ.बी.ओ. मैसर्स अग्रवाल किराणा स्टोर रूपवास वनस्थली मोड निवाई जिला टोंक(राज0)निवासी रूपवास वनस्थली मोड निवाई जिला टोंक ने बतौर वारन्टी मैसर्स विवेक डिपार्टमेन्टल स्टोर पुरानी सब्जी मण्डी निवाई जिला टोंक का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना अवगत कराया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/3302 दिनांक 19.09.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुंर से प्राप्त जांच रिर्पोट संख्या एल.एस./2573/एक्ट/2022/2602 दिनांक 22.08.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **घी डेयरी मिल्क एगमार्क स्पेशल ग्रेड ब्राण्ड (Ghee Dairy Milk Agmark Special Grade Brand)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के रेगुलेशन नं0 2.3.7(2) के उल्लधन के कारण **कॉन्ट्रावेन (contravene)** व एफ.एस.एस.ए की धारा 3(1)(zx) का उल्लंघन करने के कारण **अवमानक (Substandard)** व 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री तेजमल जैन उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी मानक प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **घी डेयरी मिल्क एगमार्क स्पेशल ग्रेड ब्राण्ड (Ghee Dairy Milk Agmark Special Grade Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **कॉन्ट्रावेन (contravene), मिथ्याछाप (Mis-Branded) व अवमानक (Substandard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51, 52 व 58 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगणको भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **घी डेयरी मिल्क एगमार्क स्पेशल ग्रेड ब्राण्ड (Ghee Dairy Milk Agmark Special Grade Brand)** का नमूना जांच में **कॉन्ट्रावेन (contravene), मिथ्याछाप (Mis-Branded) व अवमानक (Substandard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii),(v) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51, 52 व 58 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 50,000/- (अक्षरे पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/7/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक